सेकी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और संधारणीय नीति

विजन:

निगमित वह है, जो ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में पहल के माध्यम से समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक नीति तैयार करता है और संधारणीय पर्यावरणीय पद्धतियों का पालन करता है।

मिशन:

कारोबारी नीति के साथ सीएसआर और संधारणीय नीति को संरेखित करना ताकि पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से निपटने और हितधारकों के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं को करने के लिए बचाव, न्यूनीकरण और अल्पीकरण के सिद्धांतों का पालन करने के लिए स्थायी रूप से व्यापार को संचालित किया जा सके।

उद्देश्य :

1. सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) कंपनी के संचालन के क्षेत्र और उसके आस-पास अर्थात् सौर पार्क, अपनी स्वयं के उपयोगिता-स्तरीय परियोजनाओं, पावर ग्रिड और सबस्टेशन से सम्बद्ध रूफटॉप परियोजनाएं और अन्य सहायक अवसंरचना में विशेष रूप से स्थानीय समुदायों पर सीएसआर गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। सेकी इन स्थानीय समुदायों के लिए सीएसआर बजट का कम से कम 60% आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. सेकी लागू कानून के प्रावधानों के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वित करेगा।

3. सेकी सामाजिक पूंजी सृजित करने के लिए कमजोर, कम सुविधा प्राप्त और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर गतिविधियां कार्यान्वित करेगा।

सीएसआर के तहत चलाई जाने वाली गतिविधियां

1. सीएसआर के तहत चलाई जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों में अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7, सीएसआर नियम, दिशानिर्देशों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुरूप सभी गतिविधियां शामिल होंगी। ध्यान उन पहलुओं

पर होगा जो विकास को बढ़ावा देंगे और समाज के वंचित, अल्प सुविधा प्राप्त, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को बुनियादी जरूरतें मुहैया करेंगे ।

2. कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए अपने प्रचालन द्वारा सीधे प्रभावित हितधारकों को प्राथमिकता देगी। चूंकि ऐसे हितधारक आम तौर पर कंपनी के वाणिज्यिक प्रचालन की परिधि में स्थित होते हैं, इसलिए सेकी अपने प्रचालनों के स्थानीय क्षेत्रों और आस-पास के क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता देगा ।

3. एक जिले की भौगोलिक सीमा जहां सेकी की मौजूदगी है, उसे सीएसआर एण्ड एस गतिविधियों के लिए "स्थानीय क्षेत्र" माना जाएगा। स्थानीय क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों के अलावा, सेकी इसके बाहर सीएसआर गतिविधियों को भी शुरू करेगा । सीएसआर के खर्च का अनुपात स्थानीय क्षेत्रों और बाहर के बीच लगभग 70:30 होगा । हालांकि, भारत सरकार या राष्ट्रीय विकास एजेंडे में प्रमुख महत्व के निर्देशों के तहत निष्पादित परियोजनाओं / गतिविधियों को इस अनुपात के दायरे से बाहर रखा जाएगा। सीएसआर समिति किसी भी परियोजना, इसमें अन्तर्ग्रस्त राशि की परवाह किए बिना, जो उपरोक्त अनुपात से परे है, को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत है ।

4. चल रहे सीएसआर और संधारणीय परियोजनाएं या कार्यक्रमों या गतिविधियों को मान्य सीएसआर गतिविधियों के रूप में माना जाएगा और यथा अनुमोदित पूरा किया जाएगा ।

5. कंपनी सीएसआर गतिविधियों का चयन करते हुए अपने हितधारकों के प्रति अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखेगी बशर्ते ऐसी गतिविधियों को अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर गतिविधियों के रूप में माना जाए ।

6. कंपनी के प्रचालन से सीधे प्रभावित हितधारकों को सीएसआर गतिविधियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ।

7. परियोजना के पूरा होने तक समस्त व्यय के लिए की जा रही प्रतिबद्धता सहित ध्यान लंबी अवधि, उच्च प्रभावी परियोजनाओं पर होगा । ऐसी गतिविधियां जो स्वरूप में तदर्थ और परोपकारी स्वरूप की हैं, आम तौर पर उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

8. सीएसआर गतिविधियां परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के रूप में चलाई जाएंगी । सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रोजेक्ट मोड को प्राथमिकता दी जाएगी।

9. केवल भारत में चलाई गई सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां सीएसआर व्यय के लिए होंगी।

सीएसआर के दायरे के अधीन न आने वाली गतिविधियां :

क) कंपनी के कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अनुसरण में किए गए कार्यकलाप ।

ख) ऐसी गतिविधियां जो केवल कंपनी के कर्मचारियों के लाभ के लिए हैं।

ग) पुनर्वास और पुन:स्थापना (आर एंड आर) के तहत चलाई गई गतिविधियां ।

घ) किसी भी राजनैतिक पार्टी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का अंशदान ।

ड.) क्रियाकलाप जिसे बोर्ड तदर्थ और परोपकारी प्रकृति का समझे ।

च) बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न की गई कोई भी गतिविधि।

व्यवसाय को ऐसे तरीके से संचालित करने से पहल के माध्यम से स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा जो व्यापार और समाज दोनों के लिए फायदेमंद है । संधारणीय पहल में पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रचालन से बचने, कुशल और सुरक्षित तकनीक प्रथाओं को लागू करने, सभी गतिविधियों और परिचालनों में कम प्रदूषण करने, ऊर्जा के नुकसान को न्यूनतम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए पग शामिल होंगे । संधारणीय पहल में "सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी)" की मानव संसाधन नीति के अनुरूप कर्मचारियों की कल्याणकारी गतिविधियां भी शामिल होंगी ।

प्रशासनिक व्यवस्था :

निदेशक मंडल की भूमिका:

i. बोर्ड एक सीएसआर समिति का गठन करेगा, जिसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा ।
ii. कंपनी के लिए सीएसआर नीति को मंजूरी देना ।
iii. निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कंपनी की सीएसआर नीति की विषय-सूची को प्रकट करना ।
iv. कंपनी की वेबसाइट पर कंपनी की सीएसआर नीति की विषय-सूची को डालना सुनिश्चित करना ।
v. यह सुनिश्चित करना कि सीएसआर नीति लागू की जाती है । इस प्रयोजन के लिए सीएसआर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के भीतर प्रबंधन द्वारा आवश्यक तौर तरीके और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अनुमोदित किया जाए और उन्हें कंपनी के लिए तैयार किए जाने वाले सेकी के सीएसआर नियमों में शामिल किया जाए ।

vi. सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रगति की पारदर्शी निगरानी के लिए सीएसआर समिति द्वारा प्रस्तावित पद्धति को स्वीकार करना । बोर्ड सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन में प्रगति की सूचना की आवर्तिता का निर्णय करेगा ।

vii. यह सुनिश्चित करना कि सीएसआर नीति पर कम्पनी तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रतिवर्ष खर्च करें । (औसत शुद्ध लाभ की गणना अधिनियम 2013 के धारा 198 में यथा निहित के अनुसार की जानी चाहिए)

viii. निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सीएसआर समिति के गठन का खुलासा करना ।

सीएसआर समिति की भूमिका

कंपनी के पास एक बोर्ड स्तरीय उप-समिति होगी जिसे इसके बाद सीएसआर समिति के रूप में संदर्भित किया गया है जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिसमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा ।

सीएसआर समिति की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व में निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. सीएसआर नीति या इसका कोई संशोधन तैयार करना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा के लिए प्रस्तुत करना ।

ii. कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को सूचित करना जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है ।

iii. सीएसआर समिति सीआरआर परियोजना / कार्यक्रम / गतिविधि के लिए स्वयं के विशेषज्ञों द्वारा या बाहरी एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण / अध्ययन के माध्यम से एक आवश्यक मूल्यांकन करवायें । इसके अलावा, राज्य / जिला प्रशासन / पंचायती राज संस्थानों, भारत सरकार के मंत्रालयों और अन्य हितधारकों की सिफारिशें सीएसआर के तहत गतिविधियों और परियोजनाओं को चलाने के लिए विचार करें । समुदाय की आवश्यकता की पहचान करने पर, एक परियोजना तैयार की जाएगी जिसमें सामुदायिक विकास गतिविधि, कार्यान्वयन के समय-सीमा, कार्य योजना, बजट आवश्यकता आदि की आवश्यकता सूचित की जाएगी । दीर्घकालिक परियोजनाएं मध्यम और लघु अवधि की योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में विभाजित की जाएंगी ।

iv. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना ।

v. अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसरण में कंपनी द्वारा की जाने वाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों को स्वीकार करना ।

vi. सीएसआर नीति के तहत की जाने वाली परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए एक पारदर्शी निगरानी प्रणाली बोर्ड की मंजूरी से स्थापित करना ।

आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था :

सेकी का निगमित सीएसआर विभाग मानव संसाधन निदेशक के तहत स्थापित किया जाएगा । यह कंपनी की सीएसआर नीति से संबंधित सभी मामलों में सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड की सेवा के लिए उत्तरदायी होगा । सेकी में समग्र सीएसआर गतिविधियों के समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जा सकता है ।

सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन का तरीका:

सीएसआर गतिविधियों को अधिमानत: परियोजना मोड में लागू किया जाएगा । कंपनी की कार्य और वसूली नीति के अनुसार, विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन कंपनी द्वारा सामान्यत: अधिनिर्णय देने के जरिए किया जाएगा । केंद्रीय / राज्य सरकार, पंचायत राज संस्थानों आदि के विभिन्न विभागों की सेवाएं निक्षेप कार्यों के रूप में सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए भी भी ली जाएं । हालांकि, कार्यान्वयन का तरीका प्रस्ताव स्तर पर ही सूचित किया जाएगा।

1. सीएसआर गतिविधियों / परियोजनाओं / कार्यक्रमों को एक पंजीकृत ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसाइटी या कंपनी या इसकी धारण या सहायक या एसोसिएट कंपनी जो अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित की गई या अन्यथा के साथ मिलकर किया जा सकता है बशर्ते कि:

   क) यदि इस तरह के ट्रस्ट, सोसायटी या कंपनी को कंपनी या इसकी धारण या सहायक कंपनी या एसोसिएट कंपनी द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है, तो इसके पास समान कार्यक्रमों या परियोजनाओं या गतिविधि को चलाने में कम से कम तीन रुख बदलने का स्थापित ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए ।

   ख) सीएसआर समिति / सक्षम प्राधिकारी ने इन संस्थाओं के माध्यम से की जाने वाली परियोजना या कार्यक्रम, ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर निधि के उपयोग की रूपरेखाएं और निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को निर्दिष्ट किया है ।

2. कंपनी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों के लिए अन्य निगम / कंपनियों / सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सहयोग कर सकती है। हालांकि, संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / कंपनियों की सीएसआर समितियां कंपनियां (सीएसआर) नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में होंगी ।

3. निगमित सीएसआर विभाग अगले वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों और बजट की वार्षिक योजना तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष नवंबर तक सीएसआर समिति के अनुमोदन के लिए इसे प्रस्तुत करेगा । सीएसआर समिति अन्तिम अनुमोदन के लिए हर साल दिसंबर तक वार्षिक योजना पर अपनी सिफारिशें बोर्ड को भेजेगी ।

4. इसके बाद, कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सेकी के नियमों के अनुसार प्रत्येक परियोजना / गतिविधि के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाता है। बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार सीएसआर समिति / सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए निगमित सीएसआर विभाग द्वारा इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहिए।

5. सीएसआर गतिविधियों का नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभाव निर्धारण विभिन्न क्षेत्रों / परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन के तहत एक गतिविधि के रूप में शामिल किया जाएगा।

6. सीएसआर गतिविधियों सीएसआर परियोजनाओं को सीधे निष्पादित करने के अधिकारियों के मुख्य परिणाम क्षेत्रों (केआरए) का एक भी हिस्सा होंगी।

7. सीएसआर की गतिविधियों का प्रस्ताव और अनुमोदन करते समय नीति में निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

8. नीति के मामले के रूप में, लाभान्वित होने वाले समुदायों को सीएसआर गतिविधियों की पहचान, योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में परामर्श और निकट से शामिल किया जाएगा। जहां कहीं भी संभव हो, स्थानीय प्राधिकारियों और विशेष एजेंसियों से भी इसी तरह से परामर्श किया जा सकता है और उन्हें शामिल किया जा सकता है।

सीएसआर क्रियाकलापों की निगरानी:

1. कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की एक पारदर्शी निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए सीएसआर समिति जिम्मेदार होगी।

2. बोर्ड को सीएसआर नीति के कार्यान्वयन में प्रगति के बारे में सूचित किया जाता रहेगा और बोर्ड द्वारा निर्धारित समय-सारिणी को ध्यान में रखकर गतिविधियां चलाई जाएंगी।

3. सीएसआर के तहत की गई प्रत्येक परियोजना के लिए प्रभाव मूल्यांकन किया जाना चाहिए। 3 करोड़ रूपये से ऊपर की लागत वाली परियोजनाओं के लिए बाहरी एजेन्सियों के माध्यम से प्रभाव आकलन किया जाएगा। तथापि, 3 करोड़ रुपये से कम लागत वाली छोटी परियोजनाओं के लिए मितव्ययता की मात्रा के प्रभाव के आकलन को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक प्रभाव का आकलन प्रबंध निदेशक द्वारा तैयार किए गए और अनुमोदित दिशानिर्देशों और नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये से कम की परियोजनाओं का 20% और 2 करोड़ रुपये से ऊपर की सभी व्यक्तिगत परियोजनाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाएगी।

रिपोर्टिंग:

बोर्ड की भूमिका:

i. अप्रैल 2014 के पहले दिन से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित सीएसआर गतिविधियों पर बोर्ड की रिपोर्ट, सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में शामिल होगी जिसमें कंपनियों (सीएसआर) नियमों में निर्दिष्ट विवरण शामिल है।

ii. बोर्ड अपनी रिपोर्ट में सीएसआर नीति का सारांश प्रकट करेगा और नियमों के अनुबंध में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर भी इसे रखेगा।

iii. यदि कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट राशि खर्च करने में विफल रहती है तो बोर्ड को निदेशक मंडल की उपर्युक्त रिपोर्ट में उक्त राशि खर्च करने में असमर्थता के कारणों को निर्दिष्ट करना चाहिए।

सीएसआर समिति की भूमिका:

i. सीएसआर समिति समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्देशित निदेशक मंडल को सीएसआर नीति के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ii. अधिनियम, 2013 की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (डी) के तहत सीएसआर समिति सीएमडी, सीएसआर समिति के अध्यक्ष और निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जवाबदेही वक्तव्य जारी करेगी कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

निगमित सीएसआर विभाग की भूमिका:

i. निगमित सीएसआर विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग के लिए सभी गतिविधियों के दस्तावेज स्थल, क्षेत्रीय कार्यालयों और निगमित कार्यालयों पर सावधानीपूर्वक रखे जाते हैं।

ii. निगमित सीएसआर विभाग चलाई गई सीएसआर गतिविधियों की निगमित केन्द्र, क्षेत्रों और स्थलों से प्राप्त रिपोर्टों को संकलित करेगा और कंपनी के लिए एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

iii. बोर्ड की मंजूरी के साथ सीएसआर समिति, वार्षिक रिपोर्ट में दिए जाने वाले प्रचार के तरीके और अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ इसे सुमेलित करने का निर्णय करेगी।

सीएसआर गतिविधियों का वित्तपोषण :

i. कंपनी को सीएसआर नीति पर तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना अपेक्षित होगा। [औसत निवल लाभ की गणना अधिनियम 2013 की धारा 198 के लिए यथा उपबंधित के अनुसार की जानी चाहिए।] यदि कंपनी ऐसी रकम खर्च करने में विफल रहती है, तो उसे इसे खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करना होगा । तथापि, वर्ष के दौरान की गई वचनबद्धता / स्वीकृतियां व्यपगत नहीं होनी चाहिए और स्वीकृत परियोजनाएं सीएसआर के तहत पूरी की जाएंगी ।

ii. उच्च मूल्य परियोजनाओं को शुरु करने के लिए संसाधनों को अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) / कम्पनियों के साथ मिलाया जाए, जो अधिक सक्षम, लाभार्थियों की अधिक संख्या और व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों वाली हैं । तथापि, संबंधित सीपीएसई / कंपनियों की सीएसआर समितियां कंपनी (सीएसआर) नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग रिपोर्ट देने की स्थिति में होनी चाहिएं ।

iii. कंपनी के कर्मियों की सीएसआर क्षमता के निर्माण पर खर्च और कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को वैध सीएसआर व्यय के रूप में माना जाएगा। तथापि, ऐसे व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर व्यय का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

iv. सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष निधियां कंपनी के कारोबार का हिस्सा नहीं होगी । सीएसआर समिति सीएसआर गतिविधियों के लिए ऐसी निधियों का उपयोग करने के लिए बोर्ड की योजनाओं के अनुमोदन की सिफारिश कर सकती है।

v. आवश्यकता मूल्यांकन / परियोजनाओं के आधारभूत अध्ययन, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभाव का आकलन में शामिल गतिविधियों पर किए गए सभी व्यय में सीएसआर व्यय में शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक ऊपरी खर्च शामिल है, लेकिन ऐसा खर्च एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर व्यय का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

vi. सीएसआर या संधारणीय विकास के तहत पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनायें / गतिविधियां जारी रहेंगी। उनके पूरा होने तक उचित धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

vii. सीएसआर परियोजनाओं / गतिविधियों को अनुमोदित करने के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन समय-समय पर निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद अलग से अधिसूचित किया जाएगा ।

viii. सीएसआर व्यय में इसकी सीएसआर कमेटी की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए कोष में योगदान सहित सभी व्यय शामिल होंगे, लेकिन अधिनियम की अनुसूची VII के कार्यक्षेत्र में आने वाली गतिविधियों के अनुरूप या अनुसार वस्तुओं पर व्यय शामिल नहीं किया जाएगा । सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों का

संचालन करते हुए संधारणीय विकास के अनुसरण में संधारणीय पहलों पर खर्च की गई राशि सीएसआर व्यय का एक हिस्सा नहीं होगा।

संचार नीति:

हितधारकों के साथ व्यापक संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाएगा । वेबसाइट में प्रदर्शन, ईमेल, वार्षिक सीएसआर पुस्तिका, वार्षिक रिपोर्ट आदि सेकी की सीएसआर पहल को समझने के लिए प्रमुख उपकरण होंगे।

सामान्य:

I. यह नीति समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम / कंपनियों (सीएसआर) नियमों के प्रावधानों और सरकारी दिशानिर्देश, जब कभी जारी और लागू किए जाते हैं, द्वारा संशोधित की जाएगी ।

2. यह नीति सीएसआर गतिविधियों की योजना और चयन के लिए रेफरल दस्तावेज के रूप में काम करेगी, हालांकि, जब भी संदेह होता है, कम्पनी अधिनियम और कंपनियों (सीएसआर) के नियमों को प्रति संदर्भ की सलाह दी जाती है ताकि बाद में किसी असंगतता से बचा जा सके ।

3. सीएसआर नीति को संशोधित करने / आशोधित करने की शक्ति निदेशक मंडल के पास होगी ।

4. प्रबंध निदेशक और / या निदेशक (मा.सं.) समय समय पर बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित और यथा संशोधित सीएसआर नीति, 2014 के अनुसार और आगे नियम तैयार करने और सीएसआर नीति के समग्र कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होंगे ।

5. निदेशक मंडल की रिपोर्ट में वर्ष के दौरान सीएसआर नीति और इसके कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से उल्लेख करें ।

6. जब कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड को निदेशक मंडल की उपर्युक्त रिपोर्ट में उक्त राशि खर्च करने में असमर्थता के कारणों को निर्दिष्ट करना चाहिए ।

7. बोर्ड सीएसआर नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है जैसाकि वह आवश्यक समझे।

संगठनात्मक संरचना -:

कंपनी के पास एक बोर्ड स्तर की उप-समिति होगी जिसे इसके बाद सीएसआर समिति कहा जाएगा जिसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल होंगे जिसमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा ।